

आदेश पत्रक  
(नियम 13)

General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', Form No. 9}

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

|   |        |  |
|---|--------|--|
| बहादुर सिंह पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी<br>तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू(राज.) | -बनाम- | बहादुर सिंह पुत्र रामलाल वगैरह जाति जाट<br>निवासी कसेरू तहसील नवलगढ़ जिला<br>झुंझुनू(राज.) |
|---|--------|--|

सूचना मुकदमा - दावा विधिवत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा मु.नं. 109 / 2025

दावा वादी की ओर से वकील श्री सुरेश कुमार सीगड एवं श्री महेश कुमार वर्मा ने पेश किया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रस्तुत सम्मन/तलबाना पर प्रतिवादीगण की तलबी जारी होकर आईन्दा दिनांक 25.07.2025 को पेश हो।

*JSV*

(जयसिंह)

उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ़

25/7/25

वकील वादी ओर से पत्रावली ताल  
पेशी पर तलबी पेश करने का निवेदन  
छिन्ने ताल से वाद वादी निशाने  
का निवेदन किया। वाद वादी तलब  
निशाना चाहता है, लिखता वाद वादी  
निशाने दे जाफ़ि किया जाता है।  
पत्रावली फ़ोनल शुमा से गवक से  
कम से वाद तलबील जाहा हाजिल  
करा है।

*JSV*

उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ़